कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02/07/19 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में द्वितीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष के पदस्थापन आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेशों की पालना उपरान्त महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पूर्व कार्यरत कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में द्वितीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष को संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय के लिए तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यमुक्त किया जावें। संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शाला दर्पण के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(नूतन बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/महात्मा गांधी (अंग्रेजी)/19 दिनांक– 04.07.19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–शासन उप सचिव (शिक्षा ग्रुप–2) राजस्थान, जयपुर।

2–संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय में संबंधित विद्यालयो से कार्यमुक्त होकर उपस्थिति दे रहे कार्मिकों का पदस्थापन वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग कर शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों पर किया जावें। शहरी क्षेत्र में रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में निकटतम रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जावें।

3–संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय में संबंधित विद्यालयो से कार्यमुक्त होकर उपस्थिति दे रहे कार्मिकों का पदस्थापन वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग कर शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों पर किया जावें। शहरी क्षेत्र में रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में निकटतम रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जावें।

4–सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

5–संबंधित संस्था प्रधान।

6–संबंधित कार्मिक।

7–रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर